

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2081 / 2014 / अलवर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-तृतीय, वृत्त-बी, अलवर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स गायत्री माईक्रोन्स, अलवर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक
कोई नहीं

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 22 / 12 / 2015

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 81 / RVAT / 2013-14 / उपा / अपील्स / अलवर में पारित किये गये आदेश दिनांक 18.3.2014 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009-10 का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.12.2011 को पारित किया गया था। उक्त आदेश में प्रत्यर्थी द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी की स्थापना हेतु क्रय किये गये सीमेन्ट, आयरन व ट्रांसफॉर्मर की खरीद पर कैपिटल गुड्स के रूप में छूट प्राप्त की गयी। तत्पश्चात सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय, वृत्त-बी, अलवर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा वेट अधिनियम की धारा 33, 55 व 61(2) के तहत संशोधित आदेश दिनांक 01.07.2013 को पारित करते हुए सीमेन्ट, आयरन व ट्रांसफॉर्मर को कैपिटल गुड्स की श्रेणी में नहीं मानते हुए रिवर्स टैक्स रुपये 12,411/- ब्याज रुपये 5584/- व शास्ति रुपये 24,822/- सहित कुल रुपये 42,807/- की मांग कायम की गयी। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2014 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।



लगातार.....2

3. बावजूद सूचना प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं, किन्तु पत्रावली पर प्रत्यर्थी की लिखित बहस उपलब्ध है। अतः प्रत्यर्थी की लिखित बहस का अवलोकन किया गया तथा अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि सीमेन्ट, आयरन व ट्रांसफॉर्मर कैपिटल गुड्स की श्रेणी में नहीं आने के कारण, अपीलार्थी द्वारा उक्त माल की खरीद पर आई.टी.सी. का क्लेम अविधिक रूप से किया गया है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संशोधित आदेश पारित करते हुए, क्लेम की गई आई.टी.सी. रिवर्स करते हुए, रिवर्स टैक्स, ब्याज व शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों की उचित व्याख्या नहीं की जाकर, प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. प्रत्यर्थी द्वारा लिखित बहस में अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए अंकित किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा क्रय किये गये माल का उपयोग प्लान्ट एवं मशीनरी की स्थापना में किया गया है। वेट अधिनियम की धारा 2(7) 'कैपिटल गुड्स' की परिभाषा में प्लान्ट एवं मशीनरी की स्थापना में प्रयुक्त होने वाली सामग्री को भी सम्मिलित माना गया है। बिना सीमेन्ट व आयरन के प्लान्ट एवं मशीनरी की स्थापना नहीं की जा सकती। इसी प्रकार बिना ट्रांसफॉर्मर के विद्युत सप्लाई असम्भव है। अतः उक्त माल प्लान्ट एवं मशीनरी का ही पार्ट होने से इसके पेटे चुकाये गये वेट का आई.टी.सी. क्लेम करने हेतु व्यवहारी अधिकृत है। अतः प्रत्यर्थी द्वारा लिखित बहस के जरिये अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया गया।

6. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस एवं प्रत्यर्थी की लिखित बहस पर मनन किया गया तथा विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

7. वेट अधिनियम की धारा 2(7) निम्न प्रकार है :-

(7) "**capital goods**" means plant and machinery including parts and accessories thereof, meant for use in manufacture unless otherwise notified by the State Government from time to time in the Official Gazette;



लगातार.....3

The word plant and machinery has wide implications and word the plant includes fixture implements used in industries process and the word machine implies appliances and apparatus for applying mechanical power consisting of a number of parts each having a definite function. The law and justice department of India in its book Legal Glossary has defined the machine and plant as under :-

MACHINE : appliances and apparatus for applying mechanical power consisting of a number of part each having a definite function.

PLANT : fixtures, implements machinery used in industrial process.

8. वेट अधिनियम की धारा 2(15) निम्न प्रकार है :-

(15) "goods" means all kinds of movable property, whether tangible or intangible, other than newspapers, money, actionable claims, stocks, shares and securities, and includes materials, articles and commodities used in any form in the execution of works contract, livestock and all other things attached to or forming part of the land which is agreed to be severed before sale or under the contract of sale;

9. वेट अधिनियम की धारा 2(17) निम्न प्रकार है :-


(17) "input tax" means tax paid or payable by a registered dealer in the course of business, on the purchase of any goods made from a registered dealer;

10. वेट अधिनियम की धारा 18 निम्न प्रकार है :-

18. Input Tax Credit. -

(1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of -

- (a) sale within the State of Rajasthan; or
- (b) sale in the course of inter-State trade and commerce; or
- (c) sale in the course of export outside the territory of India; or
- (d) being used as packing material of the goods, other than exempted goods, for sale; or
- (e) being used as raw material ,except those as may be notified by the State Government, in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter-State trade or commerce; or
- (f) being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale in the course of export outside the territory of India; or



- (g) being used in the State as capital goods; however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section.
- (2) The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed.
- (3) Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be allowed on the purchases -
- (i) from a registered dealer who is liable to pay tax under sub-section (2) of section 3 or who has opted to pay tax under section 5 of this Act; or
 - (ii) of goods made in the course of import from outside the State; or
 - (iii) where the original VAT invoice or duplicate copy thereof is not available with the claimant, or there is evidence that the same has not been issued by the selling registered dealer from whom the goods are purported to have been purchased; or
 - (iv) of goods where invoice does not show the amount of tax separately; or
 - (v) where the purchasing dealer fails to prove the genuineness of the purchase transaction, on being asked to do so by an officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner.
- (4) The State Government may notify cases in which partial input tax credit may be allowed subject to such conditions, as may be notified by it.

11. वेट अधिनियम की धारा 10 निम्न प्रकार है :-

10. Burden of proof. -

The burden of proving that any sale or purchase effected by any person is not liable to tax for any reason under this Act or to prove for entitlement of input tax credit on any purchases, shall be on such person.



लगातार.....5

12. प्रत्यर्थी ने प्लान्ट के Foundation में सीमेंट व आयरन स्टील को काम में लिया है। विवादित प्रश्न यह है कि क्या सीमेंट व आयरन एण्ड स्टील एवं ट्रांसफॉर्मर की खरीद पर चुकाये गये कर की आई.टी.सी. अनुज्ञेय है अथवा नहीं है ?

13. माननीय कस्टम्स, एक्साईज एण्ड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, मुम्बई के न्यायिक दृष्टान्त (2011) 43 वी.एस.टी. 202 (CESTAT-Mum) भारती टेली-वेंचर्स लिमिटेड बनाम कमिश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साईज, पुणे के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त [2010] 1 GSTR 200 (SC) मैसर्स मारुति सुजुकी लिमिटेड बनाम कमिश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साईज, दिल्ली-III एवं माननीय कस्टम्स, एक्साईज एण्ड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली की लार्जर बेंच के न्यायिक दृष्टान्त (2010) TIOL 624 (CESTAT-Del-LB) मैसर्स वंदना ग्लोबल लिमिटेड का अवलम्बन लेते हुए निम्न व्यवस्था दी गयी है :-

"Larger Bench decision in the case of Vandana Global Ltd. v. CCE [2010] TIOL 624 (CESTAT-Del-LB). In Maruti Suzuki's case [2010] 1 GSTR 200 (SC); [2009] 240 ELT 641 (SC), the apex court has laid down the law that the output when depends on the inputs and both have integral connection, nexus and intimacy as well as relevancy, the appellant shall be allowed Cenvat credit on that input. Mere use of certain goods shall not ipso facto become input. In the absence of such tests being satisfied by the appellant, it is not entitled to any credit. Similarly in Vandana Global Ltd.'s decision [2010] TIOL 624 (CESTAT-Del-LB), the Larger Bench has considered the admissibility of Cenvat credit upon satisfying the tests as referred to in para 49 of the order reading as under:

"49. In the light of the foregoing findings, we answer the questions referred to the Larger Bench as follows:-

(a) The term "capital goods" has been defined in the CENVAT Credit Rules, which in turn have been framed under the rule making powers conferred under Section 37(2) of the Act. The said Section refers to credit of duty paid on goods used in, or in relation to the manufacture of excisable goods. Hence, 'capital goods' defined in the CENVAT Credit Rules in the context of providing credit of duty paid, have to be excisable goods. Whether a particular plant or structure embedded to earth can be considered as excisable goods or not has to be determined in the light of the decisions of the Hon'ble Supreme Court on the issue, which is no longer res integra.




(b) Goods like cement and steel items used for laying 'foundation' and for building 'supporting structures' cannot be treated either as inputs for capital goods or as inputs in relation to the final products and therefore, no credit of duty paid on the same can be allowed under the Cenvat Credit Rules for the impugned period."

14. वेट अधिनियम के प्रावधानों एवं माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसरण में सीमेन्ट, आयरन एण्ड स्टील व ट्रांसफॉर्मर को कैपिटल गुड्स के रूप में प्लान्ट एवं मशीनरी की श्रेणी में नहीं माना गया है। वेट अधिनियम की धारा 2(7) के तहत विहित 'कैपिटल गुड्स' की परिभाषा के अनुसार, कैपिटल गुड्स की श्रेणी में प्लान्ट एवं मशीनरी एवं इसके पार्ट्स, जो कि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये हैं, को सम्मिलित किया गया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी अथवा अपीलीय अधिकारी द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना उद्धरित नहीं की गयी है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि सीमेन्ट, आयरन व ट्रांसफॉर्मर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये हों। ना ही ऐसा कोई न्यायिक दृष्टान्त उद्धरित किया गया है, जिसमें सीमेन्ट, आयरन व ट्रांसफॉर्मर को प्लान्ट एवं मशीनरी का हिस्सा माना गया हो। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा सीमेन्ट, आयरन व ट्रांसफॉर्मर को प्लान्ट एवं मशीनरी का हिस्सा मानते हुए, तदनुसार आई.टी.सी. स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी पारित किया गया आदेश विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। वेट अधिनियम की धारा 2(7), 2(15), 2(17) व धारा 10 के प्रावधानों के संयुक्त पठन से निष्कर्षित होता है कि सीमेन्ट, आयरन एण्ड स्टील व ट्रांसफॉर्मर कैपिटल गुड्स नहीं हैं। अतः इनकी खरीद पर चुकाये गये कर का आई.टी.सी. के रूप में समायोजन अनुज्ञेय नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सीमेन्ट, आयरन एण्ड स्टील व ट्रांसफॉर्मर को प्लान्ट एवं मशीनरी की श्रेणी में नहीं मानते हुए, तदनुसार आई.टी.सी. रिवर्स किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अतः अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

15. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अपीलीय आदेश दिनांक 18.03.2014 अपास्त किया जाता है तथा कर निर्धारण आदेश दिनांक 01.07.2013 की पुष्टि की जाती है।

16. निर्णय सुनाया गया।



(मनोहर पुरी)
सदस्य